



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122020-223617
CG-DL-E-09122020-223617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3931]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942

No. 3931]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4472(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त दूसरी अनुसूची में, "राजस्थान" शीर्षक के अधीन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से संबंधित क्रम सं. 13 डीडीसी के सामने स्तम्भ 2, 3 और 4 में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
	"(ड.) डॉ. ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी-पेडियाट्रिक्स	एम. डी. (होम्यो.) (पेडि.)	8 मार्च, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जय विला, नारायण सिंह रोड, निकट त्रिमूर्ति सर्कल, जयपुर- 302004 से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।"

[फा. सं. आर-13040/102/2008-एचडी (तक.)]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का प्रथम बार संशोधन किया गया था, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा और अंतिम बार संशोधन का.आ. संख्यांक 3953 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2020 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY**

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

S.O. 4472 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Second Schedule, under the heading “RAJASTHAN”, against serial number 13DDC relating to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, after the entries in columns 2, 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
	“(e) Doctor of Medicine in Homoeopathy- Paediatrics	M.D.(Hom.) (Paed.)	From 8 th March, 2019 to December, 2019, if granted to the students who have passed out during the said period from Swasthya Kalyan Homoeopathic Medical College and Research Centre, Jai Villa, Narain Singh Road, Near Trimurti Circle, Jaipur- 302004.”

[F. No. R -13040/102/2008-HD(Tech)]

P. N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* number S.O. 3953 (E), dated the 2nd November, 2020.